


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 499/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
06/03/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा10म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधि 1950 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि <u>खतली</u> धाना नं-198 खाता संख्या-78 प्लॉट संख्या-<u>562, 558, 214, 1838</u>, रकबा-<u>13.58</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-<u>1</u> के पृष्ठ संख्या-<u>63</u> पर जमाबंदी रैयत <u>लाल मोहन सिंह पिता ब्रज मोहन सिंह</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>20/03/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर

20/01/2020

अभिलेख उपस्थापित करने के लिए निर्धारित तिथि को जमाददी
रेयत जमाददी रेयत के बशाल के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज
उपस्थापित नहीं किया गया और न ही उक्त पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाददी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
1950 की धारा 4(h) के तहत जमाददी को रद्द करने हेतु अनुशासा की जाती है। अतः
कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

(B)

अचल अधिकारी
गोविन्दपुर